2016 का विधेयक संख्यांक.....

[दि .....(नेम आफ स्टेट) शाप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लाएमेंट एंड कंडीशन्स आफ सर्विस) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

....(राज्य का नाम) दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) विधेयक, 2016

दुकानों और स्थापनों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार के नियमन
और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित विधियों को संशोधित
और समेकित करने तथा उससे संबंधित
या उसके आनुषांगिक
मामलों के लिए
विधेयक

.....(राज्य का नाम) के राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ....(राज्य का नाम) दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह दस या अधिक कार्मिकों को नियोजित करने वाली दुकानों और स्थापनों को लागू होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "मुख्य सुकारक" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त मुख्य सुकारक अभिप्रेत है ;

(ख) "दिन" से मध्य रात्रि को आरंभ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है ;

(ग) "नियोक्ता" से ऐसा स्वामी या व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दुकान या किसी स्थापन के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,-

(i) किसी फर्म या व्यष्टियों के संगम की दशा में फर्म या संगम का कोई भागीदार या सदस्य ;

(ii) किसी कंपनी की दशा में कंपनी का कोई निदेशक ;

(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी दुकान या किसी स्थापन की दशा में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी दुकान या स्थापन के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति ;

(घ) "स्थापन" से ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी कारखाने या किसी दुकान का परिसर नहीं है,-

(i) जिसमें कोई व्यापार, कारबार, निर्माण या उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक या उसका सहायक कोई कार्य या कोई भी पत्रकारिक या मुद्रण कार्य या बैंककारी, बीमा, स्टाक और शेयर, दलाली या उपज एक्सचेंज का कार्य किया जाता है ; या

(ii) जिसका प्रयोग नाट्यशाला, सिनेमा या सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन के किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है,

जिसको कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू नहीं होते हैं । 1948 का 63

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "दुकान" से ऐसा कोई भी परिसर अभिप्रेत है, जहां माल का खुदरा या थोक द्वारा विक्रय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं दी जाती हैं और इसके अंतर्गत कोई कार्यालय, कोई भंडारगृह, गोदाम, भांडागार या कार्यगृह या कार्यस्थल है, जहां तैयार माल का वितरण या पैकिंग या पुनःपैकिंग की जाती है ; किन्तु इसके अंतर्गत किसी कारखाने से संलग्न ऐसी दुकान नहीं है, जहां ऐसी दुकान में नियोजित व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन उपबंधित फायदे अनुज्ञात हैं ; 1948 का 63

(ज) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त होने के लिए समर्थ सभी पारिश्रमिक (वेतन, भत्तों के रूप में या अन्यथा) अभिप्रेत है, जो यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विविक्षित निबंधन पूरे कर दिए जाएं तो किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत संदेय होंगे और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-

(i) किसी अधिनिर्णय या पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन या किसी

न्यायालय या अधिकरण के किसी भी आदेश के अधीन संदेय कोई भी पारिश्रमिक ;

(ii) कोई भी पारिश्रमिक, जिसका नियोजित व्यक्ति अतिकालिक कार्य या अवकाश दिन या किसी छुट्टी अवधि की बाबत अधिकार है ;

(iii) नियोजन के निबंधनाधीन संदेय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक (चाहे बोनस के नाम से या किसी अन्य नाम से) ;

(iv) कोई राशि, जो नियोजित व्यक्ति के नियोजन समाप्ति के कारण से किसी ऐसी विधि, संविदा या लिखत के अधीन संदेय है, जो कटौतियों सहित या उसके बिना ऐसी राशि के संदाय का उपबंध करती है ;

(v) कोई राशि, जिसका नियोजित व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन हकदार है ; और

(vi) मकान किराया भत्ता,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं,-

(अ) कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनाधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है या जो किसी अधिनिर्णय या पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन या किसी न्यायालय के किसी भी आदेश के अधीन संदेय नहीं है ;

(आ) किसी आवास या विद्युत, जल प्रदाय, चिकित्सा परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा का या राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

(इ) किसी पेंशन या भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हो ;

(ई) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(उ) नियोजित व्यक्ति को, उसके नियोजन की प्रकृति से उसके द्वारा किए गए विशेष व्ययों को चुकाने के लिए संदत्त कोई रकम ;

(ऊ) उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न किसी मामले में नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई उपदान ;

(झ) "सप्ताह" से शनिवार की रात या किसी अन्य रात, जिसका मुख्य सुकारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदन किया जाए, की मध्यरात्रि को आरंभ होने वाले सात दिन की अवधि अभिप्रेत है ;

(ञ) "कर्मकार" से किराया या पारिश्रमिक के लिए किसी मानवीय, अदक्ष, दक्ष, तकनीकी, संक्रियात्मक या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विविक्षित, कोई व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन किसी शिक्षु के सिवाय) ।

1961 का 52

कतिपय व्यक्तियों और परिसरों को अधिनियम का लागू नहीं होना ।

3. (1) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,-

(क) किसी दुकान में या किसी स्थापन में गोपनीय, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षणीय प्रकृति का पद रखने वाला कोई कर्मकार ;

(ख) ऐसा कोई कर्मकार, जिसका कार्य अंतर्निहिततः आन्तरायिक है ;

(ग) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई भी कार्यालय ;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भी कार्यालय ;

(ङ) रोगी, शिथिलांग, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य के उपचार या देखरेख के लिए प्रयुक्त कोई स्थापन ; और

(च) किसी नियोक्ता के कुटुंब का कोई सदस्य ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कर्मकारों की सूची दुकान या स्थापन की वेबसाइट पर और वेबसाइट के अभाव में दुकान या स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति सुकारक को भेज दी जाएगी ।

कतिपय अधिकारों और विशेषाधिकारों पर प्रभाव न पड़ना।

4. इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका कोई कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, अधिनिर्णय, करार, संविदा, रुढ़ि या प्रथा के अधीन हकदार है ।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण और श्रमिक पहचान संख्या जारी करना

दुकानों और स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण और श्रमिक पहचान संख्या जारी करना ।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर दस या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाली प्रत्येक दुकान और स्थापन, ऐसे प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से, जिसको ऐसी दुकान या स्थापन अस्तित्व में आता है, छह मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे और श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त करेंगे ।

(2) दस या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाली प्रत्येक दुकान और स्थापन, ऐसे प्राधिकरण को और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, दुकान या स्थापन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और श्रमिक पहचान संख्या ऐसे प्ररूप में जारी करेगा, जो विहित किया जाए ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुकानों और स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा : 1948 का 34 1952 का 19

परंतु ऐसी दुकानें और स्थापन, इस अधिनियम के प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर श्रमिक पहचान संख्या ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेंगे, जो विहित की जाए ।

अध्याय 3

नियोक्ता के कर्तव्य

महिला कर्मकार के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध ।

6. (1) भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण या प्रोन्नति या मजदूरी के मामलों में किसी महिला कर्मकार के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी महिला से प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे के बीच के समय के सिवाय किसी दुकान या स्थापन में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है

कि ऐसी दुकान या स्थापन में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु कक्ष, महिला शौचालय, उनकी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण, योन उत्पीड़न से संरक्षण और दुकान या स्थापन से उनके निवास-स्थान तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह, अधिसूचना द्वारा महिला कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, रात्रि नौ बजे से प्रातः छह बजे के बीच कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

कर्मकारों का स्वास्थ्य और सुरक्षा ।

7. (1) प्रत्येक नियोक्ता, कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसके अंतर्गत स्वच्छता, प्रकाश, संवातन और आग का निवारण भी है) से संबंधित ऐसे उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) प्रत्येक नियोक्ता, दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकारों का बराबर और समुचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए और उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उत्तरदायी होगा ।

काम के घंटे और विस्तृति नियत करना ।

8. (1) किसी वयस्क कर्मकार से किसी दुकान या स्थापन में किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे और एक दिन में नौ घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तथा किसी कर्मकार से निरंतर पांच घंटे से अधिक कार्य करने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा, जब तक उसे आधे घंटे से अनधिक का विराम न दे दिया गया हो :

परंतु अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य की दशा में कार्य के घंटे या साप्ताहिक विश्राम में सुकारक की पूर्व अनुज्ञा से छूट दी जा सकेगी ।

(2) किसी भी दुकान या स्थापन में किसी पाली में कार्य के घंटों की कुल संख्या, जिसके अंतर्गत विश्राम अंतराल भी है, साढ़े दस घंटों से अधिक नहीं होगी और उस दशा में, जब किसी कर्मकार को आन्तरायिक प्रकृति का कार्य या अत्यावश्यक कार्य न्यस्त किया गया है, वहां विस्तृति बारह घंटों से अधिक नहीं होगी ।

(3) एक दिन में नौ घंटों या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक किसी कार्य के घंटों को अतिकालिक समझा जाएगा और अतिकालिक घंटों की कुल संख्या तीन मास की अवधि में एक सौ पच्चीस घंटों से अधिक नहीं होगी ।

(4) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी,-

(क) उपधारा (1) के अध्यधीन कार्य के उन घंटों की संख्या नियत करना, जिनसे दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकार के लिए एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंतरालों सहित सामान्य कार्य दिवस का गठन होगा ;

(ख) सात दिन की प्रत्येक अवधि में विश्राम के ऐसे दिन का उपबंध करना, जो दुकान या स्थापन में नियोजित सभी कर्मकारों को अनुज्ञात होगा और आराम के ऐसे दिनों की बाबत पारिश्रमिक के संदाय का उपबंध करना ;

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसी दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकारों के निम्नलिखित वर्ग के संबंध में केवल उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे, जो विहित किए जाएं, अर्थात् :--

(क) अत्यावश्यक कार्य या किसी आपात, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता या जिसे नहीं रोका जा सकता, में लगे कर्मकार ;

(ख) प्रारंभिक प्रकृति या पूरक काम में लगे कर्मकार, जिसे आवश्यक रूप से नियमों

में अधिकथित कार्य के सामान्य घंटों के पूर्व या पश्चात् किया जाना है ;

(ग) किसी ऐसे कार्य में लगे कर्मकार, जो तकनीकी कारणों से दिन समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना है ;

(घ) ऐसे कार्य में लगे कर्मकार, जो प्राकृतिक शक्तियों के लिए अनियमित कार्यवाहियों पर निर्भर समयों के सिवाय नहीं किया जा सकता ; और

(ङ) अत्यधिक दक्ष कर्मकार (ऐसे कर्मकार, जो सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास प्रभाग के स्थापनों में कार्यरत् हैं) ।

अतिकालिक कार्य के लिए मजदूरी ।

9. जहां किसी कर्मकार से किसी दिन में नौ घंटे और एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां वह मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर से मजदूरी या ऐसी उच्चतर रकम का हकदार होगा, जो विहित की जाए ।

पाली में कार्य और विश्राम ।

10.(1) दुकान या स्थापन का कोई विभाग या विभाग का कोई प्रभाग नियोक्ता के विवेकानुसार एक पाली से अधिक में कार्य कर सकेगा और यदि एक से अधिक पाली में कार्य किया जाता है, तो कर्मकार से नियोक्ता के विवेकानुसार किसी भी पाली में कार्य करने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(2) किसी दुकान या किसी स्थापन में किसी सप्ताह में सभी दिन ऐसी शर्तों के अध्यधीन कार्य किया जा सकेगा कि प्रत्येक कर्मकार को विश्राम के कम से कम चौबीस क्रमिक घंटे का साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) यदि किसी कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश से इनकार किया जाता है तो उसे ऐसे साप्ताहिक अवकाश के दो मास के भीतर उसके बदले में प्रतिकरात्मक छुट्टी दी जाएगी ।

(4) ऐसी पाली में कर्मकारों के सभी वर्गों के लिए किसी सप्ताह में कार्य की अवधि और घंटों की सभी कर्मकारों को लिखित में सूचना दी जाएगी और सुकारक को इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा भेजी जाएगी ।

(5) जहां किसी कर्मकार से विश्राम के दिन कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां वह मजदूरी के उसकी सामान्य दर से दुगुनी दर पर मजदूर का हकदार होगा ।

अध्याय 4

छुट्टी और अवकाश

वार्षिक छुट्टी, आकस्मिक और बीमारी की छुट्टी तथा अन्य अवकाश दिन ।

11.(1) प्रत्येक कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश मजदूरी सहित अनुज्ञात होगा :

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा दुकानों और स्थापनों के विभिन्न वर्ग या क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनों को साप्ताहिक अवकाश के रूप में नियत कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक कर्मकार प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में आठ दिन के आकस्मिक अवकाश का मजदूरी सहित हकदार होगा, जिसे कर्मकार के खाते में तिमाही आधार पर जमा किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक ऐसा कर्मकार, जिसने एक कलेण्डर वर्ष के दौरान किसी दुकान या स्थापन में दो सौ चालीस दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्य किया है, उसे पश्चात्वर्ती कलेण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा पूर्व कलेण्डर वर्ष के दौरान किए गए कार्य के प्रत्येक बीस दिन के लिए एक दिन की दर से संगणित संख्या के दिनों के लिए मजदूरी सहित छुट्टी की अनुज्ञा दी जाएगी ।

(4) प्रत्येक कर्मकार को अधिकतम पैंतालीस दिन तक अर्जित छुट्टी संचित करने की

अनुज्ञा होगी ।

(5) जहां नियोक्ता पन्द्रह दिन पहले आवेदन की गई देय छुट्टी से इनकार करता है, वहां कर्मकार को पैंतालीस दिन से अधिक की छुट्टी को भुनाने का अधिकार होगा :

परंतु यदि कोई कर्मकार इस धारा के अधीन छुट्टी का हकदार है, उसके नियोक्ता द्वारा उसके छुट्टी अनुज्ञात किए जाने से पहले या यदि आवेदन किया है और छुट्टी से इनकार कर दिए जाने पर, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या स्थायी असमर्थता के कारण वह अपना नियोजन छोड़ देता है, तो नियोक्ता उसको देय छुट्टी की अवधि के लिए उसे पूरी मजदूरी का संदाय करेगा ।

(6) कोई कर्मकार एक कलेण्डर वर्ष में आठ वैतनिक उत्सव अवकाश का हकदार होगा, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती तथा पांच ऐसे अन्य उत्सव अवकाश, जिस पर वर्ष के प्रारंभ से पहले नियोक्ता और कर्मकारों के बीच सहमति हो ।

(7) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए,-

(क) करार या संविदा द्वारा अथवा आदर्श स्थायी आदेशों या औद्योगिक नियोजन (स्थायी
1946 का 20 आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के किसी दिन ;

1961 का 53 (ख) महिला कर्मकार की दशा में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश ;

(ग) उस वर्ष से पूर्व में अर्जित अवकाश, जिसमें का उपभोग किया गया है ; या

(घ) कर्मकार के नियोजन से उद्भूत दुर्घटना द्वारा और उसके नियोजन के दौरान कारित हुई अस्थायी असमर्थता के कारण कर्मकार की अनुपस्थिति,

को ऐसे दिनों के रूप में समझा जाएगा, जिनमें कर्मकार ने दो सौ पैंतालीस या अधिक दिन की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए कर्मकार ने दुकान या स्थापन में कार्य किया है, किन्तु वह उन दिनों के लिए छुट्टी अर्जित नहीं करेगा ।

(8) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी सभी अवकाश दिनों के अतिरिक्त होगी, चाहे छुट्टी की अवधि के दौरान या उसके आरंभ में या उसके पश्चात् आते हों ।

अध्याय 5

कल्याणकारी उपबंध

पेयजल ।

12. प्रत्येक नियोक्ता दुकान या स्थापन में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रूप से अवस्थित उपयुक्त स्थानों पर पेयजल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था और अनुरक्षण के लिए प्रभावी इंतजाम करेगा ।

शौचालय और मूत्रालय ।

13. प्रत्येक नियोक्ता पुरुष और महिला के लिए ऐसे पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था करेगा, जो विहित किए जाएं, जो इतने सुविधाजनक रूप से अवस्थित होंगे, जो दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकारों की पहुंच में हों :

परंतु उस दशा में, जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या स्थापन में ऐसा करना संभव नहीं हो, तो कई नियोक्ता सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेंगे ।

शिशु कक्ष सुविधा ।

14. प्रत्येक ऐसी दुकान या स्थापन में, जहां तीस या अधिक महिला कर्मकार या पचास या अधिक कर्मकार सामान्यतया नियोजित हैं, वहां ऐसी महिला कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु कक्ष के रूप में उपयुक्त कक्ष या कक्षों की व्यवस्था और अनुरक्षण किया जाएगा :

परंतु यदि दुकानों या स्थापनों का कोई समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु कक्ष की व्यवस्था का विनिश्चय करता है तो मुख्य सुकारक द्वारा, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसकी अनुज्ञा देगा ।

प्राथमिक उपचार ।

15. प्रत्येक नियोक्ता कार्य स्थल पर ऐसी प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जो विहित की जाए ।

कैंटीन ।

16. राज्य सरकार, नियोक्ता से ऐसी दुकान या स्थापन में, जिसमें सौ से अन्यून कर्मकार नियोजित या सामान्यतया नियोजित हैं, उसके कर्मकारों के उपयोग के लिए कैंटीन की व्यवस्था और अनुरक्षण की अपेक्षा करेगी :

परंतु दुकान या स्थापनों का कोई समूह सामूहिक कक्ष की व्यवस्था का विनिश्चय करता है तो मुख्य सुकारक द्वारा, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसकी अनुज्ञा देगा ।

अध्याय 6

सुकारक और उनकी शक्तियां और कृत्य

मुख्य सुकारक और सुकारकों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां ।

17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित अर्हता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को सुकारक नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं समनुदेशित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मुख्य सुकारक नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन मुख्य सुकारक को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्य भर में किसी सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(2) राज्य सरकार, दुकानों और स्थापनों के निरीक्षण के लिए ऐसी स्कीम विहित कर सकेगी, जिसमें वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची को सृजित करने का उपबंध होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक सुकारक और मुख्य सुकारक को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और वह शासकीय रूप से ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे । 1860 का 45

(4) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, उन स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है-

(i) नियोक्ताओं और कर्मकारों को सलाह दे सकेगा और उन्हें ऐसी सूचना उपलब्ध करा सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं ;

(ii) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण के लिए स्कीम के अनुसार दुकान और स्थापन का निरीक्षण कर सकेगा और-

(क) ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, जो दुकान या स्थापन के किसी परिसर में पाया जाता है और जिसे दुकान या स्थापन का कर्मकार होने का विश्वास करने के बारे में सुकारक के पास युक्तियुक्त कारण है ;

(ख) किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे व्यक्तियों के नामों और पतों की बाबत देने की शक्ति है ;

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या सूचना या उसके भागों की तलाशी ले सकेगा, उनको अभिगृहीत कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जिसे सुकारक,

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत सुसंगत समझता है और जिसका सुकारक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह नियोक्ता द्वारा किया गया है ;

(घ) दोष या दुरुपयोग ला सकेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि में समाविष्ट नहीं है ; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो विहित की जाएं :

परंतु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को उसे अपराध में फंसाने वाले किसी प्रश्न का उत्तर या कोई साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन सुकारक द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थांतर्गत इस प्रकार देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा । 1860 का 45

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (ग) के अधीन ऐसी तलाशी और अभिग्रहण को यथाशक्य ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं । 1974 का 2

अध्याय 7

अभिलेख और विवरणियां

रजिस्टर और अभिलेखों का रखा जाना ।

18. (1) प्रत्येक नियोक्ता ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक रूप से या पुस्तक रूप में रखा जा सकेगा :

परंतु किसी सुकारक द्वारा निरीक्षण के समय, यदि ऐसे अभिलेख की सपठनीय प्रति की मांग की जाती है, तो वह नियोक्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रस्तुत की जाएगी ।

वार्षिक विवरणी ।

19. किसी दुकान या स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्ररूप और रीति में (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रूप भी हैं) ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

20. (1) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, दो हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु जुर्माने की कुल रकम नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उसी उपबंध के उल्लंघन या अनुपालना की असफलता वाले किसी अपराध का फिर से दोषी होता है, तो वह किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

इस अधिनियम के ऐसे उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई है ।

21. जैसा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन का दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गंभीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु कारित करने वाली कोई दुर्घटना हुई है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक हो

सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध कराने में बाधा डालने या इनकार करने के लिए शास्ति ।

22. (1) जो कोई किसी दुकान या स्थापन के संबंध में किसी सुकारक को उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में जानबूझकर बाधा डालता है या सुकारक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत कोई निरीक्षण, परीक्षा, जांच या अन्वेषण करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करने से इनकार करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को किसी सुकारक द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत करने से जानबूझकर इनकार करता है या सुकारक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने से रोकता है या रोकने का प्रयत्न करता है या ऐसा कार्य करता है, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसके द्वारा वह सुकारक के समक्ष किसी व्यक्ति को उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षा किए जाने से रोकता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु जुर्माने की कुल रकम नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

अपराधों का संज्ञान ।

23. (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक उस तारीख से, जिसको अभिकथित अपराध का किया जाना सुकारक के ज्ञान में आए, तीन मास के भीतर इस बाबत शिकायत नहीं कर दी गई हो और शिकायत सुकारक द्वारा फाइल नहीं की गई हो :

परंतु जहां अपराध किसी सुकारक द्वारा किए गए किसी लिखित आदेश की अवज्ञा का है, वहां उसकी शिकायत उस तारीख से, जिसको अपराध किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर की जा सकेगी ।

(2) किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अपराधों का शमन ।

24. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी ऐसे अपराध का शमन, जो केवल कारावास से या जो कारावास और जुर्माने से, दंडनीय अपराध नहीं है, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि के साथ कर सकेगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा-

(क) उसी प्रकार का अपराध किए जाने की तारीख से, जिसका पूर्व में शमन किया गया था ;

(ख) उसी प्रकार का अपराध किए जाने की तारीख से, जिसके लिए पूर्व में ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया था,

पांच वर्ष के भीतर किए गए ऐसे दूसरी बार या तत्पश्चात् अपराध को लागू नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा ।

(4) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा,

जो विहित की जाए ।

(5) यदि किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पहले किया जाता है, तो ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी भी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का इस प्रकार ध्यान में लाए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा ।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल होता है, तो ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

(8) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण ।

25. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी लोक सेवक या केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में ऐसे किसी लोक सेवक के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

छूट देने की शक्ति ।

26. यदि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, किसी दुकान या स्थापन या उसके किसी वर्ग या किसी नियोक्ता या कर्मकार या नियोक्ता या कर्मकारों के वर्ग को, जिन्हें यह अधिनियम लागू होता है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, किसी ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह ठीक समझे इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जन नहीं ।

27. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

28. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) प्राधिकारी, जिसको और प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन आवेदन किया जाएगा, उपधारा (3) के अधीन श्रमिक पहचान संख्या तथा उपधारा (4) के अधीन श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की रीति ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसके अंतर्गत स्वच्छता, प्रकाश, संवातन और आग की रोकथाम भी है) के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले उपाय ;

(ग) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने विषय ;

(घ) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन वह शर्त, जिसके अध्यधीन कर्मकारों के कतिपय वर्ग को उस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे ;

(ङ) धारा 9 के अधीन मजदूरी की उच्चतर रकम की दर ;

(च) धारा 13 के अधीन पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों का उपबंध तथा धारा 15 के अधीन प्राथमिक उपचार सुविधा का उपबंध ;

(छ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सुकारक की अर्हताएं, वे शर्तें, जिनके अध्यधीन सुकारक उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियों का और उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (ङ) के अधीन प्रयोक्तव्य अन्य शक्तियों प्रयोग करेगा ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख ;

(झ) धारा 19 के अधीन वार्षिक विवरण दिए जाने का प्ररूप और रीति (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रूप भी है) तथा वह प्राधिकारी, जिसको ऐसी विवरणी दी जाएगी ;

(ञ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन की रीति और उपधारा (4) के अधीन ऐसे शमन के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ट) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल, जहां दो सदन हों, प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधान मंडल एक सदन वाला हो, तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

29. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल, जहां दो सदन हों, प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधान मंडल एक सदन वाला हो, तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

30. (1) .... दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम..... को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई को, जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

(3) इस धारा में विशिष्ट विषयों के उल्लेख को, निरसन के प्रभाव की बाबत साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण प्रयोग के प्रतिकूल या उसको प्रभावित करना अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा । 1897 का 10